NATION TAX MARKET

By HAND/ EMAIL

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सी.जी.एस.टी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

CGST & CENTRAL EXCISE COMMISSONERATE, JAIPUR

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टैच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राज.)

NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, STATUE CIRCLE, C-SCHEME, JAIPUR – 302005 (RAJ.)

EMAIL: ccu-cgst.jpr@gov.in (कैडर कंट्रोल यूनिट) Telefax: 0141-2385813

फा.सं. II–31(97)सीसीयू/जेपीआर/2023/830 दिनांकः 19.07.2023

ज्ञापन

निम्नलिखित उम्मीदवारो को वेतनमान पी.बी.–1 रू 5200–20200 तथा ग्रेड वेतन रू 1800/– {पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स रू 18000–56900 में लेवल 1 (Level-1 in the Pay Matrix Rs. 18000-56900)} एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत किये जाने वाले भत्तों के साथ कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर (राजस्थान) के अधीन आयुक्तालयों के क्षैत्राधिकार में हवलदार (ग्रुप–स) के पद पर अस्थाई नियुक्ति (on provisional basis) का प्रस्ताव दिया जाता हैः–

S. No.	Name of Candidate (Sh./Ms.)	Date of Birth	Category	Appointment Order
1	RONAK JAIN	09/03/1996	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85843 dt. 19.07.23
2	NAVDEEP KUMAR	05/06/1995	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85844 dt. 19.07.23
3	RAMPAL PRAJAPAT	15/05/1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85845 dt. 19.07.23
4	PRAVEEN KUMAR	10/04/1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85846 dt. 19.07.23
5	RAKESH KUMAR JANGID	05/12/1998	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85847 dt. 19.07.23
6	PRAVEEN PRATAP SINGH CHAUHAN	24/07/2000	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85849 dt. 19.07.23
7	DEVENDRA KUMAR	04/02/1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85851 dt. 19.07.23
8	DEEPAK TANWAR	30/09/1993	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85852 dt. 19.07.23
9	RAJESH KALIRAVANA	26/07/2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85857 dt. 19.07.23
10	VIRENDRA KUMAR SHARMA	15/02/1996	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85859 dt. 19.07.23
11	BACHCHU SINGH GURJAR	08/07/1993	OBC (PH-OH)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85861 dt. 19.07.23
12	PRADHUMN SINGH JAT	29/06/1999	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85864 dt. 19.07.23
13	VAIBHAV BHARDWAJ	17/10/2001	UR	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85868 dt. 19.07.23
14	ROSHAN CHOUDHARY	07/01/2000	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85870 dt. 19.07.23
15	JEETRAM CHOUDHARY	07/02/1997	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85872 dt. 19.07.23
16	SATYENDER KUMAR	12/06/1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85874 dt. 19.07.23
17	JYOTI SAINI	29/09/1996	OBC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85875 dt. 19.07.23

18	MOHIT SHARMA	23/07/1999	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85878 dt. 19.07.23
19	RAHUL SHARMA	19/07/1997	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85879 dt. 19.07.23
20	RAHUL SHARMA	08/05/1996	EWS	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85880 dt. 19.07.23
21	CHAGAN LAL JAGA	01/07/1990	OBC (PH-OH)	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/HAVALDAR/85886 dt. 19.07.23
22	AMIT KUMAR	18/01/1998	SC	Jaipur GST & CX/CCO & CCA/ HAVALDAR/85889 dt. 19.07.23

उपरोक्त नियुक्ति एनक्जर–''अ'' में उल्लेखित एवं निम्नलिखित शर्तो के अनुसार रहेगीः–

1 उपरोक्त नियुक्ति प्रस्ताव DOPT के O.M. No. 18011/2(s)/2016-Estt.(B)(i) दिनांक 29.06.2016 जो कि केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र फा.सं A-12034/7/2019-Ad.IIIB दिनांक 13.05.2019 के द्वारा अग्रेषित किया गया है, के अनुसार provisional basis पर इस शर्त पर जारी किया जा रहा है कि यदि उनके पुलिस एवं चरित्र प्रमाण पत्र और उनके द्वारा प्रस्तुत जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान या अन्यथा यदि कोई विपरीत तथ्य इस विभाग की जानकारी में आता है, तो उपरोक्त ज्ञापन बिना किसी नोटिस के या बिना उनको कारण बताये निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार का असत्य तथ्य/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए विभाग भारतीय दंड संहिता के उपबन्धों के तहत् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगा।

2 उनका हवलदार के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष का परिवीक्षा काल रहेगा।

3 उनकी हवलदार श्रेणी में वरीयता भारत सरकार द्वारा जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

4 वे राजस्थान राज्य में कहीं भी स्थानान्तरण के लिए बाध्य हैं।

5 यदि वे संलग्न एनक्जर–''अ'' व उपरोक्त वर्णित शर्तों को स्वीकार करते हों तो दिनांक **21.08.2023** को या इससे पहले अद्योहस्ताक्षरकर्ता को हवलदार के पद पर अपनी कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव रद्द समझा जायेगा। इस पद पर कार्यभार सम्भालने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है।

संलग्नः– एनक्जर–''अ''

-हस्ता.-

(ऋषि यादव)
अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. The Joint Director, HRM-II, DGHRD, 409/8, Deep Shikha, Rajendra Place, New Delhi – 110008 w.r.t. letter F. No. 8/B/37/HRD(HRM)/2019/Pt.I dated 11.05.2023.
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/जोधपुर/उदयपुर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
3. अपर आयुक्त, कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
4. अधीक्षक (प्रशासन/गोप.), कार्यालय मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. परिक्षेत्र, जयपुर।
5. मुख्य लेखाधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकरी/प्रशासनिक अधिकारी (स्था./मु.) अधीक्षक (सत), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अलवर/अंकेक्षण जयपुर/अंकेक्षण जोधपुर/अपील्स जयपुर/ अपील्स जोधपुर/सीमा शुल्क, जयपुर।
6. वेतन एंव लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
7. निजी प्रति (By Hand)/सेवा पुस्तिका/गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड/परीक्षा सूची।
8. अधीक्षक (कम्प्यूटर), सी.जी.एस.टी. एवं के.उ.शु. आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(ऋषि यादव)
अपर आयुक्त (सी.सी.यू.)

"एनक्जर–अ"

प्रधान आयुक्त कार्यालय

सी.जी.एस.टी. एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर

सेवा की शर्तें

(1) उनको दो राजपत्रित अधिकारियों, जो कि उनसे संबंधित न हों, से दो चरित्र प्रमाण प्रमाण (तीन महीने से अधिक पुराने न हों) प्रस्तुत करने होंगे, उनको सेवा में लगाये रखना इस बात पर निर्भर करता है कि वे सभी प्रकार से सरकारी सेवा के लिए उपर्युक्त पाये जायें।

(2) किसी भी केन्द्रीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो–

(क) भारत का नागरिक हों, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ड.) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन कर आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो।

– किन्तु साथ में शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग) और (घ) से संबद्ध उम्मीदवार को भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण–पत्र प्रदान कर दिया हो।

(3) पिछले तीन वर्ष के दौरान भारत सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार के अधीन यदि उन्होंने कोई नौकरी की हो तो उन्हें लिखित रूप में इसकी पूरी सूचना देनी चाहिए/या नौकरी कर रहे हों तो उन्हें लिखित रूप में इस कार्यालय को पूरी सूचना देनी चाहिए तथा इस कार्यालय में कार्यग्रहण करने से पूर्व उन्हें वर्तमान विभाग से त्यागपत्र देना होगा, जिसका स्वीकृत प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार उक्त तथ्य को स्पष्ट नहीं करता है तो भविष्य में होने वाली समस्त कार्यवाहियों का वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

(4) उन्हें नीचे दिए फार्म में निम्नलिखित घोषणा लिखित रूप में लेनी होगी :

" मैं घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मैं विवाहित/अविवाहित हूँ।

(ख) मैं विवाहित हूँ और मेरे एक ही जीवित पत्नी है।

– मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है। मुझे मालूम है कि यदि मेरी नियुक्ति के बाद यह घोषणा गलत पायी जाये तो मुझे नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है।

(5) उनको चेतावनी दी जाती है कि किसी भी बात के संबंध में गलत सूचना देने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(6) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि उनको इस विभाग में प्रचलित तथा सरकार द्वारा समस्त कर्मचारियों पर समय–समय पर लागू किये गये अनुशासन और आचरण संबंधी नियमों की अनुपालना करनी होगी।

(7) किसी दूसरे विभाग या कार्यालय या अन्यत्र नियुक्ति से संबंधित उनके किसी आवेदन पत्र को अग्रेषित करने या रोकने का पूर्ण विवेकाधिकार विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्राप्त है।

(8) उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी।

(9) उनको नीचे दिए गए फार्म में वचन देना होगा :–

"मैं सी.जी.एस.टी., केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, जयपुर परिक्षेत्र, जयपुर के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी जैसा कि वह समय–समय पर गठित किया जाये, नौकरी करने को सहमत हूँ।

(10) उनको इस विभाग में बनाए रखना इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका चरित्र अच्छा हो।

(11) उनको विभागीय परीक्षाओं के तहत निर्धारित विभागीय स्थाईकरण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

(12) उनको यह भी नोट कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति अनन्तिम (Provisional) है, जब तक कि जाति प्रमाण–पत्र उचित माध्यम द्वारा सत्यापित नहीं हो जाता। यदि सत्यापन में यह पाया जाता है कि प्रत्याशी/अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति/जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित दावा असत्य/झूठा है तो इस तरह के अभ्यर्थी की सेवाऐं बिना पूर्वाग्रह व बिना किसी अग्रिम कारण बताए तुरंत समाप्त कर दी जाएगी और इस प्रकार का असत्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(13) All new entrants, who have joined the Central Government Service on or after 01.01.2004 will be governed by the Contributory Pension Systems introduced vide Ministry's letter F.No. 12/104/2003-Coord. (Circular No. 72/03) dated 22.12.2003.

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपत्र / सुपत्री श्री .... निवासी .... को पिछले .... वर्ष .... माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

श्री .... मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक : ....

(हस्ताक्षर एंव पद)

चरित्र प्रमाण पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री .... सुपुत्र / सुपुत्री श्री .... निवासी .... को पिछले .... वर्ष .... माह से जानता हूँ और मेरी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इनका चरित्र उत्तम है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

श्री .... मेरे संबंधी नहीं है।

दिनांक : ....

(हस्ताक्षर एंव पद)